270

-1-

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व प्रकरण क्रमांक /2016 अपील - 805-I-16

अपीलार्थी

श्रीमति माया बाई साहू पत्नि श्री जगदीश प्रसाद साहू उम्र कराब 40 वर्ष निवासी ग्राम सदाफल {कुण्डम} तहसील कुण्डम जिला जबलपुर म0 प्र0

श्री आर०एस० साहू
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
06 FEB 2016
अधीक्षक
राजस्व कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

उत्तरअपीलार्थी गण

{1} श्रीमति सिया बाई साहू पति स्व0 श्री परसराम साहू उम्र करीब 60 वर्ष

{2} उमेश साहू आत्मज स्व0श्रीपरस राम साहू उम्र करीब 35 वर्ष

{3} राजेश साहू आत्मज स्व0 श्री परस राम साहू उम्र करीब 30 वर्ष

{4} श्रीमति लक्ष्मी बाई साहू पुत्री स्व0 श्री परसराम साहू उम्र करीब 28 वर्ष पति श्री जवाहरलाल साहू निवासी ग्राम इमालिया खदिया थाना कुण्डम जिला जबलपुर म0 प्र0

{5} श्रीमति विधाबाई साहू पुत्री स्व0 श्री परसराम साहू उम्र कराब 22 वर्ष नम्बर {सि3एवं 5 निवासी ग्राम सदाफल तहसील कुण्डम जिला जबलपुर म0 प्र0

SURENDRA KUMAR KHARE
S K KHARE
OATH COMMISSIONER, JBP.
6 FEB 2016

अपील अन्तगर्त धारा 44 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सहपठित धारा 32 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

अपीलार्थी न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण 353/अ - 6 / 13 -14 पक्षकार माया बाई विरुद्ध परसराम {मृत} उत्तराधिकारी गण श्रीमति सिया बाई व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 20.1.2016 एवं राजस्व प्र0 क्र0 69/अ-/ 2008 -2009 पक्षकार माया बाई विरुद्ध परसराम मे पारित आदेश दिनांक 30.04.2011 से पीडित एवं दुखी होकर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 805–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 353/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20–1–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने उनके समक्ष अपील में प्रतिस्थापित अनावेदक की मृत्यु होने के कारण आवेदिका द्वारा अनावेदक के वारिसों को समयसीमा में अभिलेख पर न लाए जाने के कारण प्रकरण अवेट माना मानकर निरस्त किया गया है । 2/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उन्होंने अपील मेमो में उद्धरित किए गए हैं । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता को 15 दिवस में लिखित तर्क पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने आवेदिका की ओर से उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 4 को विलंब से पेश किये जाने के कारण प्रकरण को अवैट माना गया है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि प्रकरण में जो आवेदन पाया गया है उस पर 2–2–15 की तारीख डली है परंतु उक्त आवेदन दिनांक 20–7–15 को नस्ती में	

 अपी. 805-I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रखा पाया गया । आवेदन का उल्लेख नियत पेशी 2–2–15 को पर क्यों नहीं किया गया इसका रीडर और अपीलार्थी उत्तर नहीं दे सके और इस कारण उन्होंने उक्त आवेदन को बाद में रखा जाना माना है । इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया कि अपीलार्थ को व्यवहार न्यायालय के माध्यम से उत्तरवादी की मृत्यु की जानकारी 8–12–14 को हो गई थी, उसके बाद आवेदन तत्काल पेश क्यों नहीं किया गया इसका कोई समाधानकारक कारण आवेदन नहीं दिया गया है । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरसत करते हुए प्रकरण अवेट होना पाया गया है । प्रकरण में आये तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आदेश है वह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रीडर द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 2–2–15 को अपीलांट अधिवक्ता साहू द्वारा दो आवेदन शाखा में प्रस्तुत किए गए हैं । प्रकरण में रिकार्ड नहीं आया अतः प्रकरण न्यायालय में नहीं रखा गया जिस कारण उपरोक्त आवेदनों पर मार्किंग नहीं हो सकी । उनके इस कथन को देखते हुए प्रकरण को अवेट मानकर निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष आवेदिका द्वारा आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण का निराकरण उभयपक्षों को सुनकर गुणदोषों पर करें । सदस्य	